उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-42/2016/एस-2-2486/दस-2016-87(103)/2013

लखनऊ :: दिनॉक:: 13 दिसम्बर, 2016

**<u>कार्यालय-आदेश</u>**

उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग, बैच वर्ष 2012 (वेतन बैण्ड-3, रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 5400/-) की अधिकारी, सुश्री शिखा गर्ग, वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय प्राविधिक शिक्षा, झॉसी द्वारा इण्डियन कारपोरेट लॉ सर्विसेज (आर0सी0एल0एस0) में चयन होने के कारण उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा से कार्यमुक्त किये जाने विषयक प्रार्थना पत्र दिनॉक 29-11-2016 एवं निदेशक कोषागार की संस्तुति दिनॉक 01-12-2016 के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, सुश्री शिखा गर्ग, वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय प्राविधिक शिक्षा झॉसी को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग से कार्यमुक्त किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है।

(शिव गोपाल सिंह)

अनु सचिव।

**<u>संख्या-42/2016/ एस-2-2486(1)/दस-2016, तददिनॉक।</u>**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक, कोषागार निदेशालय/वित्तीय प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।

3- जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, झॉसी।

4- संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा झॉसी ।

5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

6- संबंधित अधिकारी।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)

अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanades.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।